

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 28— HLA OF 2022

THE HARYANA MUNICIPAL (TAX-VALIDATING) REPEAL BILL, 2022

A

BILL

to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Tax-Validating) Repeal Act, 2022. Short title.
2. The Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1934 (Punjab Act IV of 1934) and the Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1956 (Punjab Act 34 of 1956) are hereby repealed. Repeal of certain enactments.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Haryana Statute Review Committee was constituted by the State Government under the Chairpersonship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) to identify such laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need to be changed or repealed. Accordingly the Committee had recommended to repeal the Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1934 and Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1956 related to Urban Local Bodies Department, having lost their relevance.
2. Property Tax as well as other applicable taxes are being levied and collected as per the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. As such the Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1934 and Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1956 has no force and value to deal with the provision of present scenario of Taxation Validations in the municipalities.
3. Hence, it is necessary to repeal the Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1934 and Haryana Municipal (Tax-Validating) Act, 1956 by way of enacting the Haryana Municipal (Tax-Validating) Repeal Bill, 2022.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 20th December, 2022.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 20th December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या-28 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022
कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, संक्षिप्त नाम। 2022, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 (1934 का पंजाब अधिनियम IV) तथा हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम 34), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं। कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा श्री न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा संविधि समीक्षा समिति का गठन ऐसे कानूनों की पहचान करने के लिए किया गया था जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं तथा जिन्हें बदलने अथवा निरस्त करने की आवश्यकता है। तदानुसार समिति ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सम्बन्धित हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 तथा हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956, जोकि अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, को निरस्त करने की सिफारिश की है।
2. सम्पत्ति कर के साथ ही अन्य लागू करों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया एवं संगृहीत किया जा रहा है। इस प्रकार नगरपालिकाओं में कर विधिमान्यकरण के वर्तमान परिदृश्य के प्रावधान से निपटने के लिए हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 तथा हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 में कोई बल तथा महत्व नहीं है।
3. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 तथा हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 को हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022 के द्वारा निरस्त किया जाये।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 20 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।